अतिमहत्वपूर्ण /समयबद्ध

संख्या- 34/2016/747 /35-3-2016-1(51)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक 29 मार्च, 2016**

विषय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) डेटाबेस को अद्तन करने के क्षेत्र कार्य का समापन एवं निर्धारित समय सीमा में गणना ब्लॉक सार की ऑन लाइन प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-13/2016/491/35-3-2016-1(51)/2015 दिनांक 24.2.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सार पत्रक की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य दिनांक 12.3.2016 तक पूर्ण करवाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था। जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिनांक 25.3.2016 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 3,54,284 के सापेक्ष मात्र 1,23,061 गणना ब्लाकों की ही आनलाइन प्रविष्टि का कार्य पूर्ण हुआ है। जनपद-मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, चित्रकूट, बलरामपुर, गोण्डा, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, संत रविदास नगर, एटा एवं कांशीराम नगर में एनपीआर आनलाइन प्रविष्टि का कार्य संतोषजनक नहीं है।

2- आप अवगत हैं कि यह एक राष्ट्रीय महत्व का समयबद्ध कार्यक्रम है, अतएव शासन के पत्र संख्या-13/2016/491/35-3-2016-1(51)/2015 दिनांक 24.2.2016 में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गणना ब्लाक सार की आनलाइन प्रविष्टि का कार्य बिना किसी विलम्ब के समस्त जनपदों द्वारा पूर्ण करा लिया जाय तथा कृत कार्यवाही से जनगणना कार्य निदेशालय एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**आलोक रंजन**)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 34/2016/747(1)/ 35-3-2016-1(63)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री एस. के. चक्रवर्ती अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल (नागरिकता पंजीकरण), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2/ए मानसिंहरोड, नई दिल्ली।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्रांक-डीसीओ-यूपी/35-2016/एनपीआर-153 दिनांक 16.3.2016

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

ttp://sha anadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।